परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–13 के अन्तर्गत धरासू–चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

भू–वैज्ञानिक की आख्या

भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 55/2746/14

जनपद उत्तरकाशी मे प्र0 ग्रा0 सड़क योजना में धरासू–चिन्यालीसौड़–जोगत मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

जून 2014

जनपद उत्तरकाशी में प्र0 ग्रा0 सड़क योजना मे धरासू–चिन्यालीसौड़–जोगत मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 2.850 कि0मी0 लम्बाई में धरासू चिन्यालीसौड़ जोगत मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 19.6.2014 को संबधित सहायक अभियन्ता श्री के0 सी0 त्यागी एंव कनिष्ठ अभियन्ता शिवराज रावत के साथ निरीक्षण किया गया।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–13 के अन्तर्गत धरासू चिन्यालीसौड़ जोगत मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि पूर्व मे फेज–7 मे मार्ग के निर्माण हेतु मार्ग समरेखन एंव भूगर्भीय आख्या स्वीकृत थी , किन्तु बाद में सम्बंधित ग्रामवासियों के विरोध के कारण समरेखन मे उनके अनुसार परिवर्तन किया गया है। अब प्रस्तावित समरेखन संख्या एक धरासू–चिन्यालीसौड़–जोगत मोटर मार्ग के कास सैक्शन 19/27 से 1:22 के ग्रेड में हिलसाईड मे आरम्भ होता है तथा निर्धारित 2.850 कि0 मी0 दूरी के पश्चात समरेखन बगोड़ी गांव के नीचे खेतो में समाप्त होता है। समरेखन मे दो हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है , जो कमशः कास सैक्शन 0/23 तथा 1/01 मे दिये गये है। अलग–अलग भाग में समरेखन वन भूमि एंव नाप भूमि से होकर गुजरता है। अवगत कराया गया कि मार्ग के निर्माण हेतु 1.1025 है0 वन भूमि एंव 1.1475 है0 नाप भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। वन भूमि मे पहाड़ी ढलान सामान्यतः 35° से 60° के मध्य प्रतीत होता है , जब कि नाप भूमि में यह अपेक्षाकृत कम (25°–45°) है। समरेखन को कोई सकिय नाला/गधेरा पार नही करता है , अतः मार्ग के निर्माण हेतु किसी पुल आदि की आवश्यकता नही है। समरेखन क्षेत्र में मुख्यतः संधियुक्त क्वार्टजाईट चट्टान है जिनके ऊपर स्थान – स्थान पर मिट्टी/ डेब्री का ओवरवर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन मे प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(घ) मोटर मार्ग का कटान तथा उससे उत्पन्न मलवे का निस्तारण सावधानीपूर्वक किया जाये जिससे नीचे स्थित धरासू–जोगत मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त न हो।

(ड़) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

(च) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये , अन्यथा उस भाग मे सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(छ) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये जिससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ज) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलान पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ढ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material.के angle of repose.से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भांवना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सकिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. धरासू–चिन्यालीसौड़–जोगत मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.850 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

H. Kumar 27.6.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून